RAJYA SABHA

Friday 1st December, 1995/l0th grahayana 1917 (Mu)

The House met at eleven of the dock.

Mr. ehafrman *in tfte Choir.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Purchase of Sub-Standard Potassic Fertilizers

*81. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:†
SHRI SOM PAL:

Will the Minister of CHEMICALS & ERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Indian otash Limited purchased sub-standard Potassic Fertilisers from Russia as mentioned in 'Indian Express', dated 23rd September, 1995 and 7th October, 1995.

(b) whether an enquiry has been instituted in this regard and if so, the details thereof;

(c) whether Government propose to liscontinue the payment of subsidy for the sub-standard material imported; and

(d) the steps taken against the erring officials responsible for importing sub-standard materials and also to avoid recurrence of such incidents in future?

रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंहं यादव) : (क) से (घ) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया हैं।

विवरण

आई पी एल ने सी आई एस में उत्पादित म्यूरिएट आफ पोटाश (एम ओ पी) की कुल 4 लाख मीटरी टन की मात्रा की आपूर्ति हेतु एक संविदा पर हस्ताक्षर किया है। अक्तूबर 1995 तक 16400 मी. टन पहुंचा हैं। 1 सितम्बर, 1955 तक कृषि विभाग, भारत सरकार के अधीन प्रयोगशालाओं में 79,739 मीटरी टन एम आई गुणवता जाचं के लिए पड़ा हुआ हैं।

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Satya Prakash Malaviya.

माल जो उपरोक्त के अनुसार गुणवता जांच के अध्ययीन है, में पोषण तत्वों की मात्रा को लेकर कोई कमी नहीं है किन्तु उसमें उर्वरक (नियंत्रण) आदेश (एफ सी ओ) 1985 में प्रदत विशिष्टताओं से विशेष रूप से दोनों के आकार और नमी की मात्रा के संबंध में विचलन हैं।

किसी अधिकारी के खिलाफ कोई जांच शुरू नहीं की गई हैं ना ही कोई कार्रवाई परिकल्पित हैं। एम ओ पी के अनियंत्रण के पहले दानों के आकार के संबंध में विशिष्टताओं में डी ए सी द्वारा रियायत प्रदान की गयी थी ताकि एम एम टी सी द्वारा सी आई एस देशों से आयात को सुलभ कराया जा सके। चूंकि सी आई एस देश एम ओ पी पोषक तत्व विशिष्टताओं को पूर्णतः पूरा करते हैं अतः उर्वरक विभाग ने एम ओ पी के अनियंत्रण एवं असरणीबद्ध किए जाने के पश्रात एम ओ पी के लिए दानों की विशिष्टता के संबंध में डी ए पी को सामान्य रियायत की सिफारिश की हैं। भारत उर्वरक संघ (एफ ए आई) ने भी इसी तरह की सिफरिश की हैं। यह डी ए सी की केन्द्रीय उर्वरक समिति (सी ए सी) के सक्रिय विचारधीन हैं।

इस समय परीक्षण किए गए नमूनों का विश्लेषण रिपोर्ट सम्बद्ध राज्य सरकारों को भेजी गई हैं जिन्हें एफ सी. ओ, 1985 की विशिष्टताओं के अनुसार गैर मानक नमूनों के संबंध में कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त हैं।

प्रति मीटरी टन एम ओ पी पर 1000 रूपए की रियायत का भुगतान डी ए सी, भारत सरकार द्वारा गुणवता एवं मात्रा दोनों के संबंध में राज्य सरकारों की प्रमाणित रिपोटों के आधार पर किया जाता हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय सभापति जी, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक सेन्ट्रल फर्टिलाइज़र क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट है, तो मैं यह जानना चाहता हूं क्या यह सही है कि इस इन्स्ट्रीट्यूट ने जांच करने के बाद इस बात की रिपोर्ट दी है कि यह जो पोटाश है यह घटिया किस्म का है और उसके बाद उस सिलसिले में उर्वरक मंत्री जी ने भी यह आदेश दिया कि इसकी जो लेबोरेटी हैं उसमें

इसको टैस्ट किया जाए? उसके बाद एक श्री राम लेबोरेटरी है उसमें भी उसका परीक्षण करने के बाद वह इस फैसले पर पहुंचे कि इसकी जो स्पेसीफिकेशंस है उसके अनुसार यह घटिया किस्म का पोटाश हैं?

श्री राम लखन सिंह यादव: ऐसी बात नहीं हैं, यह सही बात हैं कि यह बाहर से आती हैं और पोटाश हमारे देश में नहीं हैं यह चार- पांच देशों से मंगाई जाती हैं। एग्रीकल्चर विभाग ने इसकी जांच के लिए इंतजाम किया है कि जब वैसल आ जाता है तो इसकी जांच वहीं पोर्ट पर ही शुरू हो जाती हैं। इसमें अगर कोई कमी पाई गई तो उसके लिए अनुसार कार्यवाही शुरू होती हैं और जो रिज़ल्ट होता है उसको स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया जाता हैं। स्टेट गवर्नमेंट को यह कानूनी हक है वह उस पर क्या कार्यवाही करे, अगर खराब है तो वह कानूनी कार्यवाही करे, अगर खराब है तो वह कानूनी कार्यवाही करे, नहीं तो उसको चलाए। इस प्रश्न में जहां तक इस केस का संबध है उसमें जितने आए हैं मोयसवर और पार्टीकल्ज़, ये दो चीजें नान-स्टेंडर्ड हैं, लेकिन जितनी जगह से आते हैं सब के सब आज तक ऐसे ही होते आए हैं ओर इससे कोई खराबी नहीं आती हैं और इसको किसान भी पंसद करते हैं तथा किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई एतराज भी नहीं किया हैं। लेकिन चूंकि नॉन-स्टैडर्ड पाया गया है और आज तक ऐसे ही आता हैं और कोई उस पर एतराज नहीं करता है तो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, हम लोगों ने भी यह लिखा है कि इसको जब यहां ठीक हे और इसी रीति-रिवाज़ पर चलना है तो ठीक है । यही मिलता है और यही चल रहा है तो इसको बाजाबता स्टैडर्ड मान लिया जाए।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: महोदय ,मेरे एक प्रश्न का जवाब अभी तक नहीं आया। मैंने स्पेसेफिकली यह सवाल किया था वह आपने माना भी कि कृषि मंत्रालय का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वह उसकी जांच करता है तो मेरा सीधा- सीधा प्रश्न यह था कि जो कृषि मंत्रालय का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उस ने क्या इस संबध में जांच किया या नहीं और अगर जांच किया तो उसकी रिपोर्ट किया है, यह तो आप बताईये?

श्री राम लखन सिंह यादव: कृषि मंत्रालय ने जो जांच किया हैं उसके अनुसार 0.50 मोयस्चर रहना चाहिए और पार्टीकल्ज़ का 95 परसेंट साइज़ होना चाहिए । पाया गया है चार नेशनल इन्क्वायरीज़ की गई हैं उसमें से एक में है पार्टीकल्ज़ 73.18 दूसरे में हैं 76.486 तीसरे में 70.23 और चौथे में हैं 81.52 तथा मोयस्चर हैं .61 , 0.70 , 0.64 ,0.41 तो जैसे मैंने आपसे कहा कि यह जांच करके कृषि मंत्रालय ने सभी स्टेट गवर्नमेट्स को भेज दिया है । स्टेट गवर्नमेंट्स ने आज तक इस पर कोई एतराज नहीं किय है। इसी तरह से यह जहां-जहां से भी आती है, सब ऐसे ही आती है क्योंकि यह चीज खान से निकलती है। तो यह काम में आ रही है और सभी इस को पंसद करते हैं । तो अभी जैसकि कहा गया कि स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है, स्पेसिफिक के मुताबिक होना चाहिए, 0.50 और एमएम 95 परसेंट और इसे मानते हुए कि यह सही है, इस में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जो स्पेसिफिकेशंस में नही है, इसलिए कृषि विभाग और फर्टिलाइजर कापोर्रेशन आफ इंडिया नेभी इस को लिख दिया है कि इसको उसी तरह से मान लिया जाये । यह जब डिकंट्रोल हुआ तो उस के पहले एम.एम.टी.सी इस काम को करता था, उस नेभी इसे हटाकर कहा था कि इसे लागू नहीं होना चहिए और कभी लागू किया नहीं । तो मैंने कहा कि यह उस के मुताबिक नहीं है, नॉन-स्टैडर्ड है तो भी इस से खराबी नहीं हुई है और अब यह कहा जा रहा हैं कि इस को विधिवत मान लिया जाये कि कोई खराबी नहीं हैं। यह दोनों में चालू रहा हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय सभापति जी , मंत्री जी ने स्वीकार किया हैं कि यह जो पोटाश है, यह स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नहीं हैं। जो इस का प्रिस्क्राइब्ड स्टेंडर्ड है, उस के मुताबिक नहीं है और घटिया किस्म का हैं। इस संबध में कोई एतराज करे, न करे वह अलग बात हैं मगर मेरा प्रश्न यह है कि आप ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह पोटाश घटिया **...(व्यवधान)...**

श्री राम लखन सिहं यादव : यह मैंने स्वीकार नहीं किया है कि यह घटिया किस्म का हैं। मैंने कहा कि नॉन-स्टैंडर्ड हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : नॉन – स्टेडर्ड की हिंदी क्या होती हैं? आप नॉन- स्टेडर्ड की हिंदी हम को बता दीजिए ? In the list of questions the word 'sub-standard' has been translated as *ghatia.* That is why I am saying *ghatia.* अग्रेजी में नान-स्टेंडर्ड है इस सवाल में । आप देख लीजिए घटिया कहा हैं?

श्री राम लखन सिहं यादव : उस का तर्जुमा अंग्रेजी में है"सब स्टेडर्ड" इसलिए मैंने कहा कि कानून में नॉन-स्टेंडर्ड है, सब-स्टेडर्ड वर्ड नहीं हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मेरा प्रश्न है कि जो स्पेसिफिकेशन हैं, उस के मुताबिक चूंकि यह पोटाश नहीं है, इसलिए क्या इस संबंध में यह मंत्रालय या मंत्री जी

कोई एक्सपर्ट कमेटी बिठाएंगे जोकि इस की जांच करे और इस बात की रिपोर्ट दे कि किसानों की जमीन पर जहां कि यह इस्तेमाल होता है, उनको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा हैं?

श्री राम लखन सिंह यादव : मैंने कहा कि प्रयोग करते हैं किसान **...(व्यवधान)...**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : आप से बहुत स्पष्ट पूछ रहा हूं कि आप एक्सपर्ट कमेटी से जांच कराएंगे?

श्री राम लखन सिंह यादव : काहे की जांच करवाएं ? इसकी की कोई आवश्यकता नहीं हैं। इसलिए कि यह व्यवहार में आ रहा हैं। इस को लोग पसंद कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट को कानूनी हक हैं इस बारे में एक्शन लेने का **...(व्यवधान)...**

श्री भूपेन्द्र सिंह मान : सभापति जी, आप मंत्री जी से कहिए, वह कैसे कह रहे हैं कि घटिया चीज किसान पंसद करते हैं?

MR. CHAIRMAN: I will call you.

श्री भूपेन्द्र सिहं मान: मंत्री गलत जवाब दे रहे हैं। आप इनको कहिए कि सदन का ऐसा मजाक न बनाएं । घटिया किसान पंसद करते हैं, यह वे कहां कि बात कर रहे हैं ?

MR. CHAIRMAN: Mr. Mann, you turn will come.

श्री भूपेन्द्र सिंह मान : इनको यह पता नहीं है सदन में क्या बात कहना ठीक है और क्या गलत हैं? यह सारा हाउस देख रहा हैं।

MR. CHAIRMAN: Mr. Mann, please sit down.

श्री भूपेन्द्र सिहं मान: "सब स्टेडर्ड" चीज के बहाने ऐसी घटिया चीज किसानों को देकर कहते हैं कि उनको यह पसंद हैं। यह वे कहां की बात कर रहे हैं? यह सारे हाऊस सारे देश का मजाक बना रखा है इन्होंने ।**...(व्यवधान)...**

श्री राम लखन सिंह यादवः माननीय सदस्य किसान हैं कि नहीं, यह मैं नही जानता हूं, लेकिन मैं एक किसान हूं और हमारे बाप-दादा सब किसान हैं । इसलिए घटिया शब्द से उत्तेजित नहीं होइए। मैंने कहा कि घटिया नहीं है। इस को सब लोग पंसंद करते हैं । चूंकि किसानों को यह पसंद है, स्टेट गवर्नमेट्स ने आज तक कोई एतराज नहीं किया और उन को यह कानूनी हक हैं कि वह इंक्वायरी बिठाएं या केस चलाएं । सब कुछ रहते

कहीं पर एतराज नहीं है । स्टेट गवर्नमेंट को यह रिपोर्ट भेज दी हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इसलिए हम लोग मानते हैं कि यह ठीक है ।

श्री सोमपाल : सभापति महोदय , यह घटिया फर्टिलाइजर का मामला हैं और इसका जो उत्तर दिया गया हैं लिखित रूप से उसकी ड्राफिटंग मे जितनी गलतियां हैं और जिस कैजुअर तरीके से इस क्वेश्चन को ड्राफ्ट किया और जो उत्तर मंत्री जी ने यहां दिया वह भी अत्यन्त घटिया उत्तर हैं। यह धोखाधड़ी का मामला आज का नहीं हैं। एक बात इन्होंने इसमें विरोधमास लिखी हैं कि 1 लाख 64 हजार मीट्रिक टन का आयात किया गया । मंत्री जी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा सर, मंत्री जी तो देख ही नहीं रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : क्यों देखेंगे ?

श्री सोमपाल : सभापति महोदय ,He is not paying attention, whatsoever, to my question.

MR. CHAIRMAN: He will answer your question.

श्री राम लखन सिंह यादव : मैं आपका ही काम कर रहा हूं।

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: Sir, the Question Hour is taken very lightly in this House.

MR. CHAIRMAN: Please frame your question.

श्री दिग्विजय सिंह : तो बताइए क्या बोला ? **...(व्यवधान)...**

श्री सोमपाल : सर, वह सुन ही नहीं रहे, कैसे आन्सर करेंगे?

MR CHAIRMAN: Please frame your question.

श्री सोमपाल : तो आप इस तरह से किसान को लुटवा रहे हैं 20 साल से, घाटिया माल स्पलाई कर रहे हैं।**...(व्यवधान)...** सुनते ही नहीं हैं। **...(व्यवधान)...**

सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं । यह घोखाधड़ी किसान के साथ सिर्फ इस एक इम्पोर्ट लोट में नहीं हुई यह 20,30,40 वर्षो से पोटाश इम्पोर्ट हो रहा है। उसकी यह स्थिति है, 1,64,000 मी. टन जो आया, उसमें से केवल 79,739 को इन्होंने चैक किया, बाकी को चेक क्यों नहीं किया? मेरा "अ" सवाल तो

यह है, "ब" भाग यह है कि आपने यह कह दिया है कि आज तक ऐसे सही आता है, किसानों को पसंद है, किसी ने एतराज नहीं किया है। किसान के पास कोई लेबोरेटी तो है नहीं टेस्ट करने की । कहां से जांच करेगा? यह कर्त्तव्य तो सरकार का है। और, आपने दो मानदंड बताए, एक तो उसके दाने का साइज का छोटा था और नमी उसमें अधिक थी, जितनी उसके लिए प्रिसक्राइब्ड है उससे ज्यादा थी, निधार्रित मात्रा से । मैं यह जानता हूं कि उसकी रसायनिक प्रक्रिया लगातार चालू रहती है, अगर नमी ज्यादा होती है तो वजन भी उसका ज्यादा हो जाता है। अगर चीज भिगो कर भेजेंगे तो जितना उसमें होना चाहिए मूल तत्व. उसके बजाय कम आएगा। तो उसमें कांटा लगाना चहिए वजन के लिए । क्या आपने वह वजन किया ? और तीसरी बात, यह जो कि मूल रिपोर्ट है लेबोरेटरी की, उसमे यह है कि एन.ए.सी.एल.कंटेट भी कम है और आपने कहा खाली दाने और नमी का। यह आपने क्यों छुपाया? यह पक्ष ऐसा है तो निश्चित रूप से वह घटिया हैं। उसको वापस किया जाना चहिए और जो सरकार ने दाम लिखे हैं वह वापस हों, उस कंपनी के ऊपर पैनल्टी लगाएं, उसको ब्लैकलिस्ट करें और जिन आधिकरियों ने पास किया है उनके विरूद्ध कार्यवाही की जानी चहिए। क्या आप यह करेंगे ? मैंने इसके चार भाग पूछे हैं आपसे ।

श्री राम लखन सिंह यादव : देखिए, सबसे मूल यह है कि इसमें जो हमारे तत्व हैं, जिसके चलते पोषक तत्व हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। मैं आपको साफ कह रहा हूं। इसमें मूल तत्व जो हैं, उसमें कोई कमी नहीं हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री सोमपाल : एक बात बता दें, एन.ए.सी.एल कम है या नहीं हैं? यह रिपोर्ट में लिखा हैं। जो मूल रिपोर्ट है, उसको देखा हैं, उसमें लिखा है कि एन.ए.सी.एल .कंटेंट कम हैं। आप या तो डिनाई करिए या हां करिए ।

श्री राम लखन सिंह यादव : जैसा मैंने कहा, मूल तत्व इसमें हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री सोमपाल : मैंने एन.ए.सी. एल का पूछा हैं, कम हैं या नहीं हैं?

श्री राम लखन सिंह यादव : लेकिन मैं आपसे यह कह रहा हूं कि मूल तत्व हैं , इसकी आवश्यकता नहीं हैं। लेकिन , आप इतना जान लीजिए, यह पूरी चीज हैं। पोटास का सब होता है, एग्रीकल्चर विभाग से वहीं से जांच होता है। इसलिए मैं सारी चीजें, जो आप कह रहे हैं, इस सब समेत एग्रीकल्चर विभाग को भेज दूंगा । मेरे विचार से इनमें कोई कमी नहीं है। मूल तत्व ज्यों का त्यों अच्छा है, पर्टिकल्स की कमी है, जो सभी जगह बराबर रहेगा और मास्चर उसमें कोई डिफरेन्स नहीं पड़ता हैं। इसके बावजूद आप चाहते हैं तो मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की सारी चीज भेज दूंगा ताकि फिर से वह लोग देख लें कि इसमें आगे कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता है या नहीं हैं।

SHRI SOM PAL: To a very specific scientific question, he has given a very generalised and casual answer. I asked whether the NACL contents were found to be deficient or not. If it had been found, then was any action taken? The original reply says so. Either you deny it or accept it. It is a very pertinent question.

श्री राम लखन सिंह यादव : मैं कह रहा हूं कि मास्चर में और पोटाश में ...(**व्यवधान**)...

SHRI SOM PAL: I am on NACL. I am not on moisture. Moisture content is a different matter.

SHRI RAM LAKHAN SINGH YADAVA: I cannot say 'yes* or 'no' .....*(Interruptions)*....

SHRI SOM PAL: Mr. Chairman, I need your protection. You must direct the Minister to be specific on a scientific question.

SHRI RAM LAKHAN SINGH YADAVA: I assure the House that all the answers given by us to the questions put in the House will be sent to the Agriculture Ministry because these questions pertain to agriculture. It came to me, hence, I answered. All this will be sent to them.

SHRI SOM PAL: Mr. Chairman, Sir, please, I seek your protection and direction to the Minister. I would request you to allow a discussion, at least a Half-An-Hour discussion, on this. It is. a very important question from the farmers' point of view.

श्री दिग्विजय सिंह : पहले एन.ए.सी.एल. तो बताएं।

श्री सोमपाल : इतने दिनों से आप किसान को लुटवा

रहे हैं । इसमें कभी सब्सिडी किसी को दी, कभी कुछ किया, ऐसे तो बहुत ऐसे तो बहुत सवाल जुड़े हुए हैं। पर चार सवाल तो मैंने पूछे हैं, एक का भी उत्तर आप नहीं दे पाए हैं।

श्री राम लखन सिंह यादव: यह जो पहले-पहले क्वेश्र आया है...(**व्यवधान**)... ठुकराने का सवाल नहीं है...(**व्यवधान**)... पूरा करने दीजिए । जहां तक सब्सिडी का सवाल है, जब से डीकंट्रोल हो गया है तो पोटाश पर भी एक हजार प्रति टन का एग्रीकल्चर विभाग से सब्सिडी मिल रही हैं।

SHRI INDER KUMAR GUJRAL: Mr. Chairman, Sir, the impression that I get is that the hon. Minister dosen't understand the technical language and he doesn't know what is being asked. That is why he is evasive. It is an expression of his lack of knowledge and understanding of the subject.

May I ask him, and the hon. Minister of Agriculture is sitting beside him, did the Ministry of Agriculture see this note? Did they also reaslise that they have a responsibility in this? Did the two ministries get together to see that the farmers' interests are not damaged? I ask Shri Balram Jakhar also to reply to it. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Do you want to reply? Do you want to offer?

SHRI SOM PAL: Mr. Chairman, Sir, a Half-An-Hour discussion is requested.

MR. CHAIRMAN: You give a notice. I will consider it. *(Interruptions)* You give notice for a Half-An-Hour discussion. I will consider it.

SHRI SOM PAL: Okay, Sir.

MR. CHAIRMAN: I will now go to the next question. Question No. 82. Shri Parmeshwar Kumar Agarwalla.

Bokaro Industrial Area Development Authority

*82. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) the understanding reached with the Bihar Government for establishment of Bokaro Industrial Area Development Authority;

(b) whether the industries set up in the vicinity of BIADA will be given orders for materials required by Bokaro Steel Plant for which such industries were accorded ancillary status;

(c) if so, how many industries set up under BIADA were accorded ancillary status and the items earmarked to make supplies by BSP; and

(d) the orders in terms of quantity and rupee value given during the last three years to:

(i) ancillary units;

(ii) other than ancillary units but set up within BIADA; and

(iii) industries set up outside BIADA?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

Bokaro Industrial Area Development Authority (BIADA) was constituted by Government of Bihar vide notification dated 26.10.1972 after the promulgation of the Bihar Industrial Areas Development Authority Ordinance, 1972. Subsequently the "Bihar Industrial Area Development Authority Act" was enacted in 1974. Bokaro Steel Plant has adopted the programme of development of ancillary/SSI units in the vicinity of the plant for its requirement of spares and store items and has been working in close association with BIADA. Bokaro Steel Plant has accorded ancillary status to 81 BIADA units so far. Bokaro Steel Plant places orders for material required by it wherever BIADA units are capable" of supplying quality materials at competitive rates within the required delivery schedules. Such orders are